

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—26/2021 (2021/55) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चान्दी पत्नि लालु गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता हरलाल गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरूलाल पिता मांगु गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. किशन पिता हरलाल गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पिता किशना प्रजापत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदा पिता किशना प्रजापत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिलाल पिता धर्मचन्द मेहता निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहनदास पिता रामदास वैष्णव निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भुरा पिता दीपा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नगजी पिता जोधा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गोपु पिता सवाईराम गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नारायण पिता सवाईराम गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मीठालाल पिता हीरालाल महेता निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—01.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी संख्या 1 चान्दी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2683 रकबा 0.85 है0 एवं प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं सयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2676 रकबा 0.74 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.59 है0 भुमि खाता संख्या 117, 118 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 12.02.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।



Kg, 111,128



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 15.03.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 व 4 लगायत 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 3 व 9 के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 1 चान्दी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2683 रकबा 0.85 है० एवं प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं सयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2676 रकबा 0.74 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.59 है० भूमि खाता संख्या 117, 118 पर दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
1.4.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कमिश्नर (अधीनस्थ) अधिकारी
रायपुर जिला भौलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—26/2021 (2021/55) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चान्दी पत्नि लालु गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता हरलाल गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरूलाल पिता मांगु गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. किशन पिता हरलाल गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पिता किशना प्रजापत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदा पिता किशना प्रजापत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिलाल पिता धर्मचन्द मेहता निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहनदास पिता रामदास वैष्णव निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भुरा पिता दीपा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नगजी पिता जोधा गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गोपु पिता सवाईराम गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नारायण पिता सवाईराम गाडरी निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मीठालाल पिता हीरालाल महेता निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 01.04.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी संख्या 1 चान्दी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2683 रकबा 0.85 है0 एवं प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं सयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2676 रकबा 0.74 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.59 है0 भुमि खाता संख्या 117, 118 पर दर्ज है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



Kg, 111,128

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा